रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2670] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2018/आषाढ़ 22, 1940
No. 2670] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2018/ASHADHA 22, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

का.आ. 3441(अ).— मंत्रालय प्रारुप अधिसूचना का.आ. 997(अ.), दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में स्थित है। महाराष्ट्र सरकार ने रापजत्र अधिसूचना सं.डब्ल्यूएलएस-10.07/सी.आर.297/एफ–1, दिनांक 27/12/2017 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972

की धारा 38 (V) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र 625.40 वर्ग किलोमीटर को क्रांतिक बाघ पर्यावास के रूप में घोषित किया गया था;

और, महाराष्ट्र सरकार ने राजपत्र अधिसूचना डब्ल्यू.एल.पी-10-09/ सी.आर.229/एफ-1 दिनांक 5 मई, 2010 द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के अधीन ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के 1101.77 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ''बफर जोन'' के रूप में घोषित किया था;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में जीवजंतुओं और वनस्पतियाँ की अत्यधिक विविधता है और यह जंगली पशुओं और पक्षियों की बृहत संख्या से परिपूर्ण हैं, जिसमें बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), जंगली कुत्ता *(कुओन अल्पाइंस),* सियार (*कैनिस ऑरियस*), बनबिलार *(फेलिस चाउस),* भैंसा *(बोस गौरस*), सांभर *(रूसा यूनीकोर्लर),* चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), साही *(हिस्ट्रीक्स इंडिका),* बनैला सूअर *(सस स्कोर्फा),* नीलगाय *(बोसेलाफस ट्रागोकेमेलुस),* आदि अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में दक्षिणी उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन है जो समृद्ध और विविध है और जहां कम से कम 75 प्रजातियों के वृक्ष, 36 झाड़ी प्रजातियाँ, 17 प्रजातियों की घास, 21 लता प्रजातियाँ और स्थानिक पौधों की प्रजातियां जैसे *यूनोनीस गोदावेरिसिस* सेलास्ट्रासियस समूह से संबंधित को अभिलिखित किया गया;

और, दलदली मगरमच्छ *(करोकोदयलुस पलुस्ट्रीस), पायथन (पायथन मोलुरूस), मगुर (कलारीउस बेटराचुस,) कावेरी वाइट कार्प (किररहिनुस किर्रोसुस)* आदि लुप्तप्राय महत्तवपूर्ण जीवजंतु और आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में संकटपूर्ण लुप्तप्राय *ओरिएंटल व्हाइट-ब्लैक्ड गिद्ध (जिप्स बेंगलेंसिस) को अभिलिखित किया गया है;*

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व में मानव निवास की अत्यधिक सन्निकटता तथा चल रहे विकास के क्रियाकलापों के कारण उपयुक्त रक्षोपाय और क्रियाकलापों पर नियंत्रण की अपेक्षा आवश्यक हो गई है;

और, ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के चारों ओर 3 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 3 से 16 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1346.61 वर्ग किलोमीटर में 3 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक विस्तृत है और बाघ रिज़र्व का बफर जोन पूरी तरह से शामिल हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिला के तालुकों में चंद्रपुर, भद्रावाई, वारोरा, चिमुर, सिंधवाही और मुल तालुक ग्राम शामिल हैं।

(2) ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों एवं देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-II क-घ** के रूप में संलग्न है।

(4) ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों को **उपाबंध III क-ख** में दिया गया है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना की अनुज्ञा होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा

(8) **बहिस्राव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन की अनुज्ञा होगी।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन की अनुज्ञा होगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित

अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक इकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
		प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी

		टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली इकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
विनियमित क्रियाकलाप		
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
11.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) सतही जल और भू- जल का निष्कर्षण केवल भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि-उपयोग एवं घरेलू उपयोग के लिए ही अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भू-जल के परिणाम सहित उसके निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से लिखित पूर्वानुमति लेनी अपेक्षित होगी।

		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) कृषि सहित किसी भी स्रोत से जल के संदूषण या प्रदूषण, को रोकने के उपाय किए जाएंगे ।
12.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि यान एवं गर्म वायु के गुब्बारों को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
13.	वायु और वाहन जनित प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	भू-जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
19.	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	बायोडिग्रेबल प्रदार्थो का पुन:चक्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	बिजली की लाइने बिछाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
23.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीवों की मुक्त आवाजाही के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर स्थित होटल या अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अपनी संपत्तियों के चारों ओर कांटेदार बाड नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं होगी। यदि कोई विद्यमान बाड़ इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, तो उसे आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार परिर्वतन किया जाएगा ।
24.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

25.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
28.	गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	कैम्पिंग और ट्रैकिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए तब तक 10 से 1डिग्री के ढ़लानों वाली पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से मीटर 100 दूर तक, कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
31.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
33.	सामुदायिक प्रकृति रिजर्व।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
34.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
39.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए।
40.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

1.	जिला कलेक्टर, चंद्रापुर	- अध्यक्ष;
2.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि।	–सदस्य;
3.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।	–सदस्य;
4.	क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	–सदस्य;
5.	पारिस्थितिकी विशेषज्ञ ।	–सदस्य;
6.	जैव विविधता विशेषज्ञ ।	–सदस्य;
7.	क्षेत्र का वरिष्ठ योजनाकार।	–सदस्य;
8.	पर्यावरण विभाग, जल संसाधन, राजस्व, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, उद्योग/एमआईडीसी, महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रतिनिधि	–सदस्य;
9.	क्षेत्र निदेशक, ताडोबा अंधेरी बाघ रिज़र्व का प्रतिनिधि।	–सदस्य;
10.	उप निदेशक (बफर), ताडोबा अंधेरी बाघ रिज़र्व ।	सदस्य -सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्तर्गत आते हैं। इनमें वे प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा उन्हें केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजेगी।

(4) निगरानी समिति वास्तविक स्थल-विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंर्तगत आते हैं। इनमें वे प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं जो इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजेगी।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/02/2014-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

ताडोबा-अंधेरी पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं

उत्तर – आर.एफ.कम्पार्टमेंट सं 41, 40. 39, 7, 8, 10, 12, 20 की उत्तरी सीमा (चंद्रापुर- नागपुर सर्कल सीमा)

दक्षिण- मरोदा, कटवान की दक्षिण पूर्व सीमा, आर.एफ. कम्पार्टमेंट सं.353 की दक्षिण सीमा 352, 355, 356 की दक्षिण पूर्व सीमा। नागाला, मरारसवारी, संद्राग्राम की दक्षिण पूर्व सीमा, संद्रा ग्राम की दक्षिण सीमा। आर.एफ कम्पार्टमेंट सं 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409 की दक्षिण सीमा।

पूर्व- आर. एफ कम्पार्टमेंट सं. 20, 21, 380, 381, 26A, 372, 368, 37, 43, की पूर्वी सीमा तालोडी तुकुम, मसाला, सतारा, तुकुम, पालासगांव, परना ग्राम की पूर्व सीमा, आर.एफ कम्पाटमेंट सं. 230, की पूर्वी सीमा, श्रीकादा, शीओनी, वासेटा, जामसाला, मोहादी, कलमगांव गांवगन्ना, बामनी, शिवापुर तुकुम, रत्नापुर, भादुरना, उसराला, मरोदा ग्रामों की पूर्वी सीमा।

पश्चिम- मरौदा, कटवान की दक्षिण पूर्व सीमा, आर.एफ कम्पार्टमेंट सं. 353 की दक्षिण सीमा 352, 355, 356. की दक्षिण पूर्व सीमा। नागाला, मरारसवी, संद्रा ग्राम की दक्षिण पूर्व सीमा, संद्राग्राम की दक्षिण सीमा आर.एफ. कम्पार्टमेंट सं 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409 की दक्षिण सीमा।

उपाबंध- IIक

ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

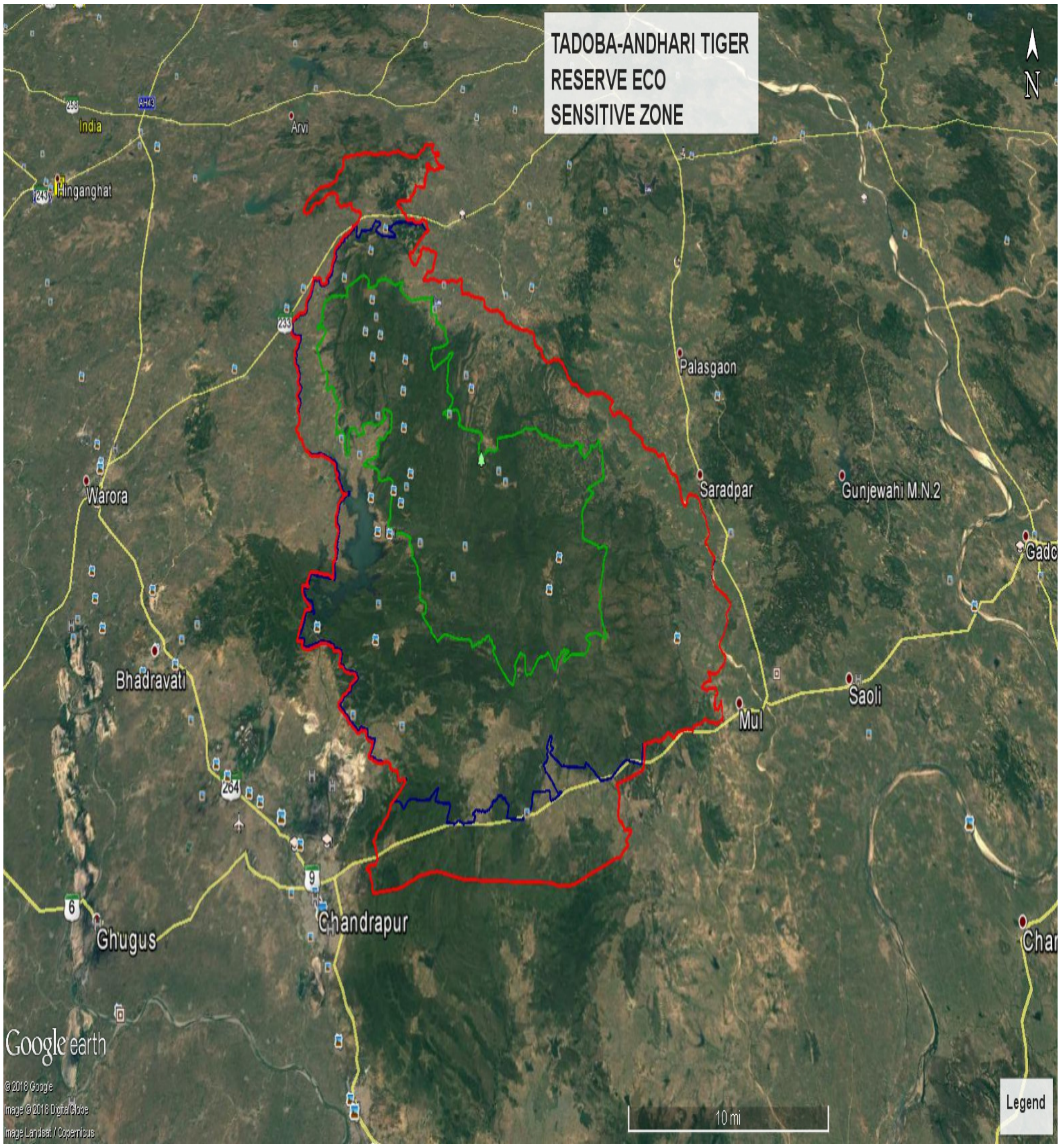

उपाबंध- IIख

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

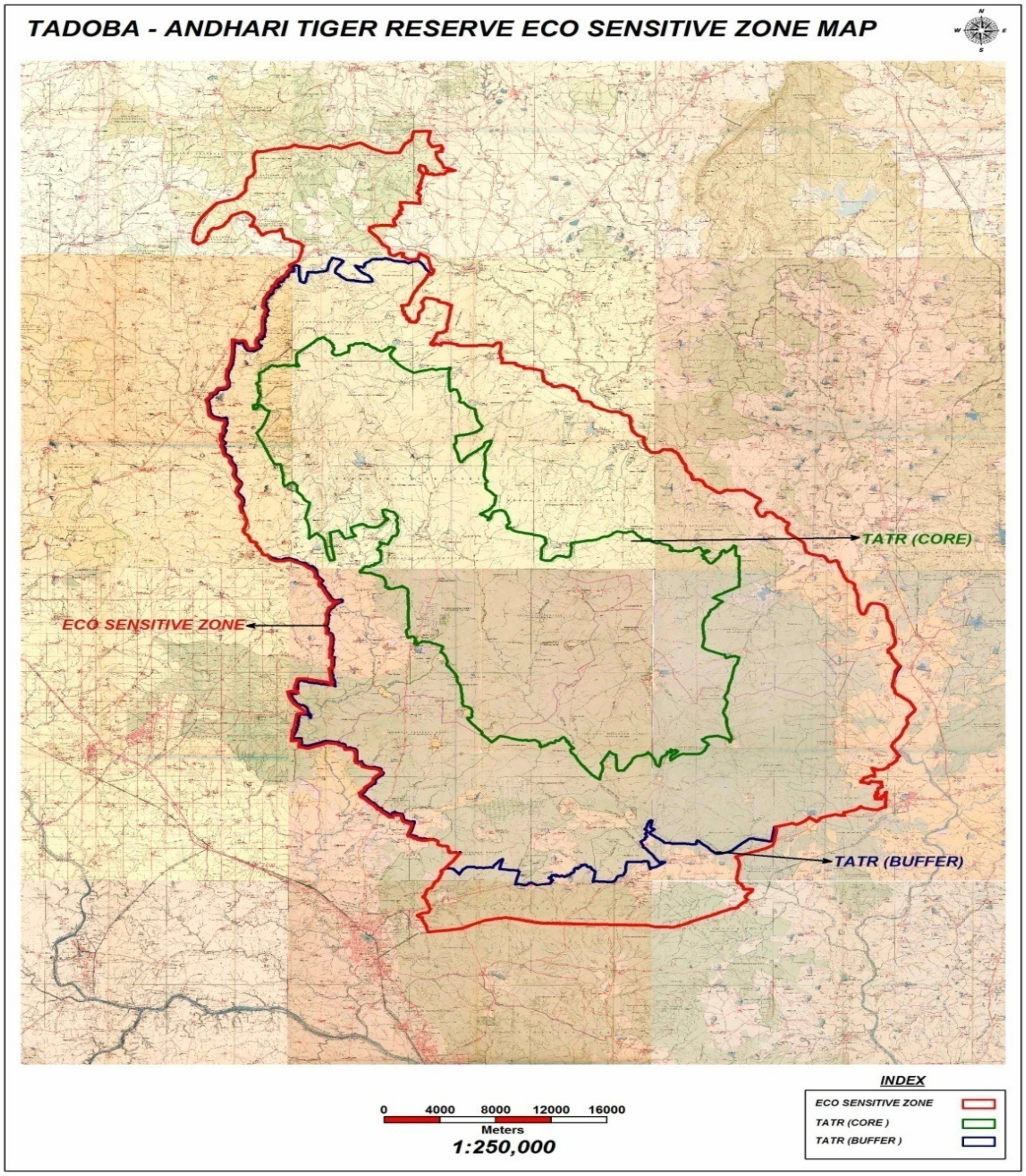

उपाबंध- II ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि-उपयोग मानचित्र

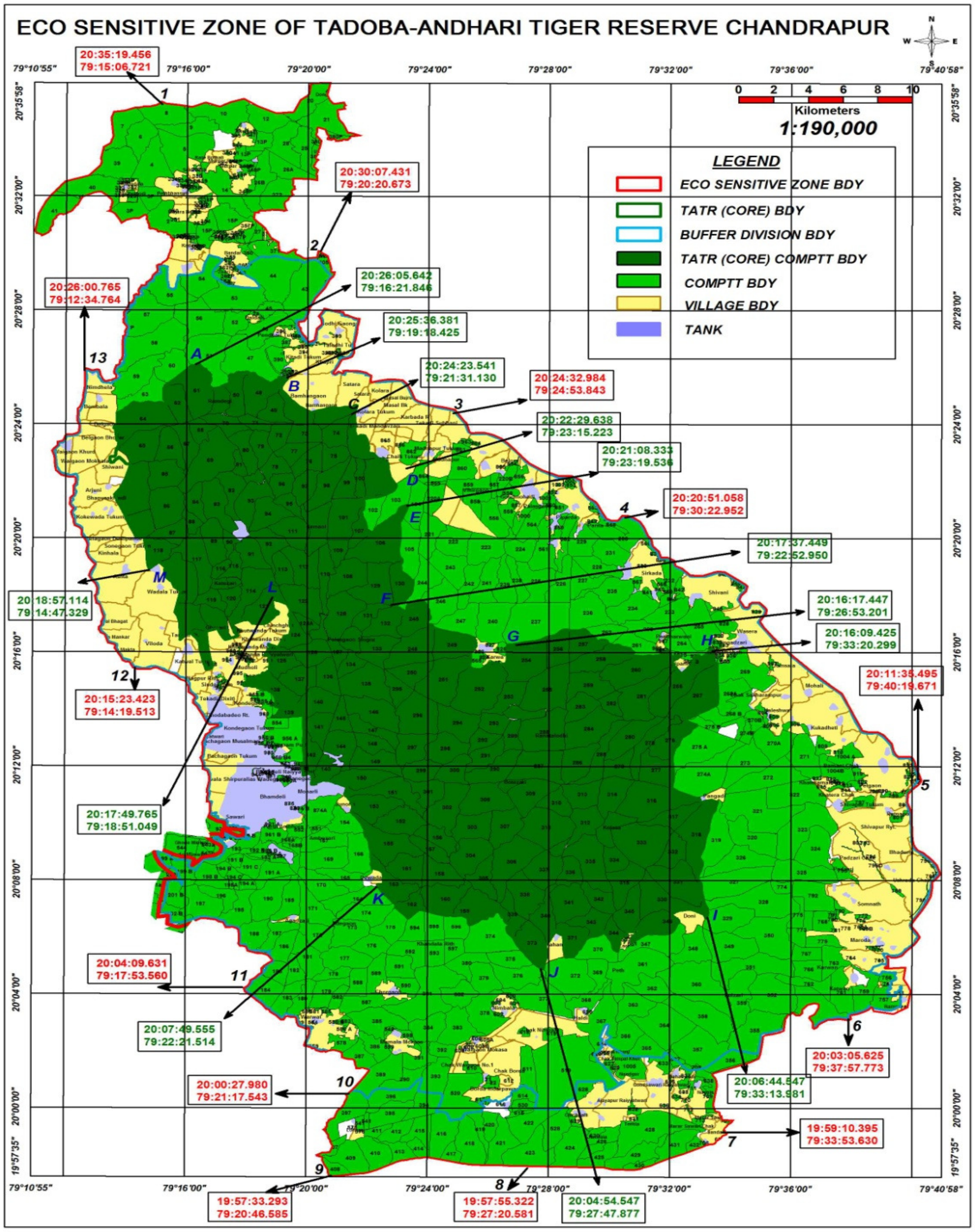

<u>उपाबंध- II घ</u>

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

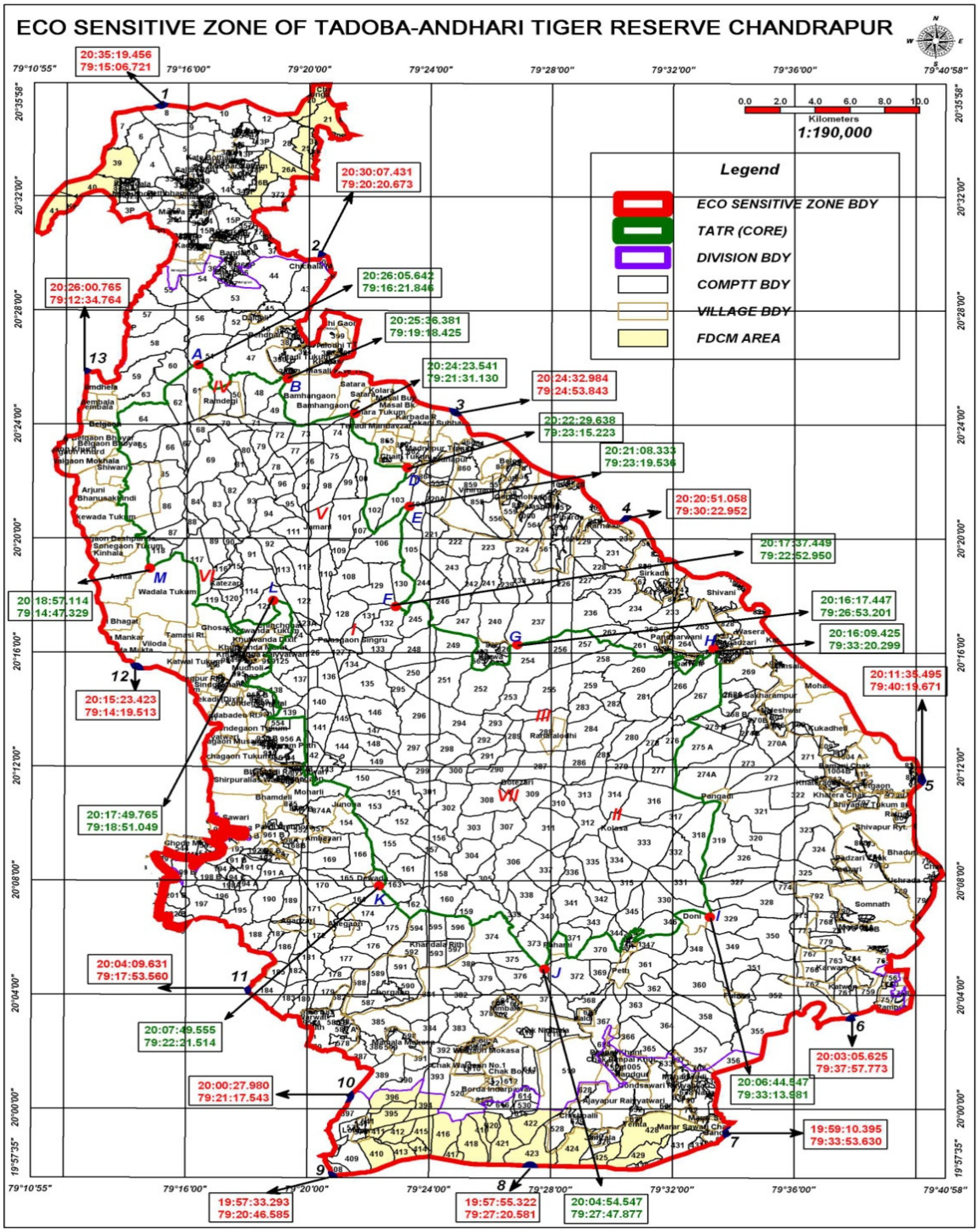

उपाबंध III

सारणी क: ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर
ए	20° 26’ 05.642” उ	79° 16’ 21.846” पू
बी	20° 25’ 36.381” उ	79° 19’ 18.425” पू
सी	20° 24’ 24.541” उ	79° 21’ 31.130” पू
डी	20° 22’ 29.638” उ	79° 23’ 15.223” पू
ई	20° 21’ 08.333” उ	79° 23’ 19.536” पू
एफ	20° 17’ 37.449” उ	79° 22’ 52.950” पू
जी	20° 16’ 17.437” उ	79° 26’ 53.201” पू
एच	20° 16’ 09.425” उ	79° 33’ 20.299” पू
आई	20° 06’ 44.547” उ	79° 33’ 13.981” पू
जे	20° 04’ 54.547” उ	79° 27’ 47.877” पू
के	20° 07’ 49.555” उ	79° 22’ 21.514” पू
एल	20° 17’ 49.765” उ	79° 18’ 51.049” पू
एम	20° 18’ 57.114” उ	79° 14’ 47.329” पू

सारणी ख: ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	20° 35’ 19.456” उ	79°16’ 06.721” पू
2.	20° 30’ 07.431” उ	79°20’ 20.673” पू
3.	20°24’ 32.984” उ	79°24’ 53.843” पू
4.	20°20’ 51.058” उ	79°30’ 22.952” पू
5.	20°11’ 35.495” उ	79°40’ 19.671” पू
6.	20°03’ 05.625” उ	79°37’ 57.773” पू

7.	19°59' 10.395" उ	79°33' 53.630" पू
8.	19°57' 55.322" उ	79°27' 20.581" पू
9.	19°57' 33.293" उ	79°20' 46.585" पू
10.	20°00' 27.980" उ	79°21' 17.543" पू
11.	20°04' 09.631" उ	79°17' 53.560" पू
12.	20°16' 23.423" उ	79°14' 19.513" पू
13.	20°26' 00.765" उ	79°12' 37.764" पू

उपाबंध-IV

जी.पी.एस.निर्देशांकों के साथ ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	पलाशगांव सलंगरू	20:16:39.673	79:21:28.819
2	कोल्सा	20:10:03.787	79:30:09.557
3	रांटलोधी	20:13:51.698	79:26:59.830
4	रामदेगी	20:24:37.562	79:16:36.273
5	जमानी	20:20:08.533	79:20:20.846
6	कटजरी	20:18:25.109	79:17:18.230
7	बोटेजरी	20:11:18.178	79:26:38.733

ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र में उल्लिखित 7 ग्रामों में से 4 को स्थानांतरित किया गया है।

जी.पी.एस.निर्देशांकों के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ताडोबा-अंधेरी बाघ रिज़र्व के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं	ग्राम का नाम	क्षेत्र हेक्टेयर में	देशांतर	अक्षाशं
1.	देवादा	712.98	79:22:19.503	20:08:05.870
2.	खांदाला रीत	32.32	79:23:50.526	20:05:46.042
3.	छोरगांव	526.00	79:22:44.797	20:04:09.790
4.	वारवाट	384.58	79:20:35.958	20:02:41.750
5.	मम्ला	181.81	79:23:11.000	20:02:21.526
6.	निम्बाला	308.58	79:26:41.959	20:03:32.831
7.	चाक निम्बाला	651.30	79:27:35.698	20:02:44.831
8.	वईगांव - 1	143.59	79:25:22.480	20:01:36.308
9.	वईगांव - 2	107.28	79:25:56.567	20:02:04.135

10.	बोरदा	143.97	79:26:39.698	20:01:39.091
11.	हल्दी	291.24	79:29:09.918	20:03:05.923
12.	जरी	29.72	79:30:48.404	20:05:58.270
13.	अदेगांव	465.00	79:21:08.140	20:06:40.499
14.	अगरजरी	120.08	79:19:48.836	20:06:24.903
15.	चाक बोरदा	799.96	79:26:21.082	20:01:00.109
16.	पहामी	30.58	79:27:50.927	20:05:30.503
17.	पेथ	11.59	79:30:23.039	20:04:53.288
18.	दोनी	79.04	79:32:34.291	20:06:35.005
19.	फल्जरी	15.44	79:33:57.346	20:03:55.542
20.	मोहरली	373.00	79:20:17.921	20:10:40.032
21.	पिम्पलकुथ	24.60	79:29:55.130	20:02:32.956
22.	चाक पिम्पल्कुथ	154.76	79:30:07.533	20:01:52.311
23.	नंदगुर	302.01	79:30:38.864	20:01:22.026
24.	महादवादी	127.78	79:32:23.516	20:01:03.397
25.	गोंदसवरी	421.71	79:31:40.058	20:00:53.697
26.	मरार्सावारी	46.47	79:33:16.841	19:59:41.296
27.	चाक मरारसवारी	85.23	79:32:33.216	19:59:42.292
28.	नगला	204.75	79:33:08.673	20:00:28.506
29.	संदाला रीथ	159.42	79:33:38.061	19:59:12.752
30.	चीचपल्ली	673.02	79:29:10.774	19:59:47.194
31.	अजयपुर	860.13	79:30:37.358	20:00:25.639
32.	टेम्टा	32.76	79:30:50.255	19:59:37.118
33.	जम्भारला	55.61	79:29:37.100	19:59:03.338
34.	वाल्नी	130.50	79:27:06.081	20:00:19.476
35.	चाक वाल्नी	34.48	79:26:09.809	19:59:59.868
36.	घंटाचुकी	29.93	79:24:59.986	19:59:50.362
37.	लोहारा	151.61	79:21:47.465	19:59:03.808
38.	सोनेगांव	245.28	79:14:31.612	20:20:22.841
39.	बेलगांव	480.00	79:13:16.306	20:19:59.176
40.	अस्टा	765.00	79:13:51.236	20:18:38.087
41.	वडाला तु	374.71	79:15:18.919	20:18:07.434
42.	विलोडा	607.00	79:14:56.463	20:13:21.039
43.	कटवाल तु	8030.95	79:16:10.941	20:15:45.322
44.	नागपुर रीथ	122.83	79:16:32.446	20:14:58.609
45.	घोसारी	224.74	79:17:04.704	20:16:49.837
46.	खुथवांदादी.	114.91	79:18:28.610	20:16:22.339
47.	खुथवांदा तु	133.21	79:18:07.281	20:16:45.607
48.	खुथवांदा एम आर	72.21	79:18:39.363	20:16:00.481
49.	कुतवांदा आर वाई	11.31	79:18:18.562	20:15:45.674

50.	चिचघाट रीथ	90.79	79:19:18.576	20:17:03.215
51.	टेकदी	289.86	79:17:09.956	20:14:20.079
52.	कोंदेगांव तु	145.45	79:18:35.660	20:13:31.322
53.	भम्देली आर वाई	289.00	79:19:23.660	20:11:48.054
54.	भाम्देली	225.00	79:18:57.918	20:11:03.233
55.	जुनोना	39.07	79:21:21.740	20:10:40.601
56.	पारदी रिथ	350.00	79:19:06.007	20:09:54.656
57.	टम्सी रीथ	308.00	79:15:58.162	20:16:41.072
58.	कोदेगांव	150.00	79:18:28.953	20:14:17.276
59.	सितराम्पेथ	559.00	79:19:11.685	20:12:36.479
60.	थनेगांव रिथ	62.00	79:20:05.282	20:11:33.318
61.	अम्बेजारी रिथ	100.00	79:20:31.871	20:09:28.232
62.	मुधोलि	437.00	79:17:42.998	20:15:26.919
63.	सिओनी	852.83	79:13:41.367	20:22:19.917
64.	अर्जुनी तुकुम	70.75	79:13:44.348	20:22:00.957
65.	अर्जुनी	381.18	79:13:02.969	20:21:34.126
66.	कोकेवाडा	376.00	79:13:12.151	20:20:38.556
67.	भानुसखिंदी रिथ	19.25	79:14:27.516	20:21:34.364
68.	वाइगांव	102.65	79:12:45.071	20:22:52.857
69.	वाईगांव खुर्द	392.00	79:11:57.438	20:22:42.247
70.	बेल्गांव भोयार रिथ	298.64	79:13:18.934	20:23:23.559
71.	बेल्गांव चाक रिथ	61.51	79:13:16.677	20:23:57.648
72.	बेम्बाल	110.00	79:12:43.943	20:24:39.412
73.	बेम्बाल चाक	260.62	79:13:21.869	20:24:34.219
74.	निम्धेका	146.00	79:12:59.068	20:25:26.593
75.	मदनपुर तुकुम	168.00	79:24:19.353	20:23:14.041
76.	मदनपुर	550.00	79:24:49.802	20:23:49.505
77.	चाइथय (देओरी)	233.20	79:22:28.308	20:22:24.607
78.	चाइथय तुकुम रिथ	253.00	79:23:05:917	20:23:00.071
79.	टेकदी मंदावजरी	168.66	79:21:48.900	20:23:39.117
80.	चाक टेकदी रिथ	212.00	79:22:17.539	20:23:11.943
81.	टेकदी सुभानी रिथ	475.19	79:24:21.108	20:24:22.962
82.	करबादा	360.00	79:23:12.860	20:23:44.095
83.	कोलारा	251.00	79:22:24.810	20:25:18.357
84.	पलासगांव(पिपेरदा)	754.75	79:27:36.976	20:21:11.990
85.	गोंदमोहाली	521.24	79:26:58.109	20:21:38.616
86.	विहिरगांव तुकुम	219.00	79:26:08.529	20:22:31.562
87.	विहिरगांव	444.00	79:25:51.697	20:21:05.563
88.	टलोधी	156.01	79:21:13.903	20:26:42.119
89.	अलिजांजा	किटदी का भाग	79:20:37.366	20:26:34.541

90.	टेकेपेर	399.00	79:22:06.001	20:26:54.342
91.	पेंधारी रिथ	126.00	79:19:56.141	20:27:18.788
92.	पेंधारी तु. रिथ	168.00	79:19:30.065	20:27:05.750
93.	टलोधी गोगन्ना	329.00	79:20:47.361	20:27:20.185
94.	किटलि	298.00	79:19:53.108	20:26:23.881
95.	खापरी	457.00	79:20:32.950	20:25:55.073
96.	बमनगांव	473.00	79:20:22.536	20:24:58.374
97.	सातरा	471.00	79:21:27.503	20:24:59.907
98.	खादसांगी	262.22	79:16:00.186	20:29:58.415
99.	पेंधारपवनी	93.82	79:16:18.575	20:29:21.638
100.	बरदघाट	164.61	79:15:40.183	20:29:31.220
101.	खांदाला	55.72	79:14:08.573	20:32:22.236
102.	मंगरूल	68.53	79:17:57.873	20:28:59.571
103.	जरी	78.37	79:17:14.966	20:29:13.669
104.	बनदर	132.45	79:17:43.775	20:29:53.511
105.	शिवापुर	55.84	79:17:37.033	20:30:36.418
106.	सेदेगांव	619.38	79:19:20.622	20:30:03.319
107.	पिटिचुआ	352.00	79:19:45.140	20:31:54.876
108.	मजरा बेगदे	206.05	79:16:12.445	20:31:13.195
109.	अमरपुरी	240.14	79:16:33.899	20:31:59.780
110.	सलोरी रिथ	84.54	79:16:11.832	20:32:56.171
111.	पेथभांसुली	189.02	79:15:24.635	20:32:10.813
112.	जम्भुल्बोदी	77.69	79:14:07.574	20:31:58.689
113.	आजगांव	144.86	79:17:09.303	20:33:50.568
114.	मुरपर रिथ	156.50	79:17:53.034	20:34:06.603
115.	मुरपर तुकुम	161.77	79:17:56.435	20:32:36.225
116.	कटेबोथलि	49.32	79:16:47.058	20:33:20.024
117.	मिंजरी	123.20	79:17:55.376	20:34:07.662
118.	चाक कुकाधेटी	22.00	79:37:44.726	20:12:57.288
119.	कुकाधेटी	760.59	79:36:12.062	20:13:58.906
120.	मोहादी	272.00	79:36:56.520	20:15:02.197
121.	रतनपुर	111.07	79:33:47.327	20:20:35.299
122.	खाटेरा	96.00	79:37:17.166	20:11:26.350
123.	खाटेरा चाक	118.00	79:37:31.376	20:11:04.544
124.	नालेश्वर	413.50	79:35:41.858	20:14:13.200
125.	जमसला	446.00	79:35:48.228	20:15:46.793
126.	मसमोहान	134.00	79:33:54.054	20:15:56.596
127.	सिंगादजरी	104.04	79:33:52.094	20:16:26.484
128.	वासेरा	667.75	79:34:48.936	20:16:51.475
129.	पंधारवानी	55.11	79:31:45.186	20:16:11.294

130.	सिओनी	638.01	79:33:23.673	20:18:13.308
131.	सिरकादा	380.71	79:31:21.169	20:18:48.589
132.	परना	121.62	79:29:29.936	20:20:41.292
133.	पिपेरदा	423.43	79:28:21.510	20:20:09.557
134.	पिपेरहेटी	27.40	79:32:27.094	20:15:37.951
135.	मरोदा	1995.04	79:38:15.353	20:06:11.147
136.	उसराला	755.98	79:39:50.068	20:08:05.213
137.	पदजरी	26.42	79:37:32.181	20:08:34.857
138.	पदजरी आर वाई	696.23	79:38:14.311	20:08:48.189
139.	शिवापुर	78.00	79:38:10.844	20:10:49.780
140.	भादुरना	5.57	79:40:01.680	20:09:05.240
141.	कटवान	133.85	79:37:58.377	20:04:03.544
142.	चाक कतवान	99.24	79:38:24.103	20:04:36.806
143.	करवान	757.48	79:37:54.219	20:05:14.745

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

S.O. 3441(E).— In supersession of Ministry's draft notification S.O. 997(E), dated 10 April , 2015, The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under

sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Tadoba - Andhari Tiger Reserve is situated in Chandrapur District of Maharashtra. Government of Maharashtra vide its gazette notification No. WLS-10.07/C.R.297/F-1, dated 27/12/2007 has declared an area of 625.40 square kilometres as Critical Tiger Habitat as per the provisions under Section 38 (V) of Wildlife (Protection) Act-1972.

AND WHEREAS, the Government of Maharashtra vide its Gazette notification no. WLP-10-09/CR-229/F-1 dated 5th May, 2010 has also declared 1101.77 square kilometre as "Buffer Zone" of Tadoba Andheri Tiger Reserve under Section 38 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

AND WHEAREAS, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has very high faunal and floral diversity and it supports a large number of wild animals and birds, the most important among them are Tiger (*Panthera tigris)*, Leopard (*Panthera pardus)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Jackal (*Canis aureus)*, Jungle Cat (*Felis chaus)*, Bison (*Bos gaurus)*, Sambhar Deer (*Rusa unicolor)*, Spotted Deer *(Axis axis)*, Barking Deer (*Muntia cusmuntjak)*, Porcupine (*Hystrix indica)*, Wild Boar *(Sus scrofa)*, Nilgai (*Boselaphus tragocamelus)*, etc;

AND WHEAREAS, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has Southern Tropical Dry Deciduous forests which are rich and varied and from where at least 75 trees species, 36 Shrub species, 17 Grass species, 21 climber species and the endemic plant species viz., *Euonymus godaverensis* belonging to family Celastraceae have been reported;

AND WHEAREAS, Marsh Crocodile **(***Crocodylus palustris),* Python (*Python molurus*), Magur *(Clarius batrachus)* Cauvery white carp (*Cirrhinus cirrhosus)* etc. are important faun recorded as Endangered and Oriental White-blacked Vulture (*Gyps bengalensis)* as critical Endangered in Red Data Book of IUCN.

AND WHEAREAS, the extremely close vicinity of human habitation, ongoing development activities at the Tadoba-Andhari Tiger Reserve, necessitates the requirement of proper safeguard and control over activities;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the extended area ranging from 3 km to 16 km from the boundary of the protected area of Tadoba-Andhari Tiger Reserve as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area from 3 to 16 km from the boundary of the protected area of Tadoba-Andhari Tiger Reserve in the state of Maharashtra (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –

(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of **1346.61 square kilometres** of an extent ranging from **3 km to 16 km** and includes the complete buffer zone of the Tiger Reserve. The ESZ includes villages of Chandrapur, Bhadrawai, Warora, Chimur, Sindewahi and Mul Talukas of Chandrapur District in Maharashtra.

(2) The boundary description of Tadoba-Andhari Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A-D.**

(4) The geo-coordinates of Tadoba-Andhari Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-III A-B.**

(5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism-.

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the protected area or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. – (i)On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
Prohibited activities		
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		
8.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected

		Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
11.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for

		industrial or commercial use including the amount that can be extracted with prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable law.
13.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies.	Regulated under applicable laws.
15.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
16.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
17.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
19.	Erection of electric cables.	Regulated under applicable laws.
20.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
21.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
22.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
24.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.

25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
26.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
28.	Collection of non-timber forest products.	Regulated under applicable laws.
29.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
33.	Community Nature Reserve	Regulated under applicable laws.
	Promoted activities	
34.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
35.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
36.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
37.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
38.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
39.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
40.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
41.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
42.	Skill development.	Shall be actively promoted.

43.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:-The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	District Collector, Chandrapur	Chairman;
2.	A representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case	Member;
3.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case	Member;
4.	Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member;
5.	Expert Ecology	Member;
6.	Expert Biodiversity	Member;
7.	Senior Town Planner of the area	Member;
8.	A representative of the Departments of Environment, Water Resources, Revenue, Police, P.W.D., Industries/MIDC, Urban Development of Government of Maharashtra	Member;
9.	Representative of Field Director, Tadoba Andhari Tiger Reserve	Member;
10.	Deputy Director (Buffer), Tadoba Andhari Tiger Reserve	Member Secretary .

6. Terms of Reference. –

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14^{th} September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14^{th}

September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in **Annexure V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2014-ESZ-RE]

LALIT KAPUR,Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

Boundaries of Tadoba-Andhari Eco-sensitive zone:-

North - Northern boundary of R.F. Compartment No. 41, 40. 39, 7, 8, 10, 12, 20 (Chandrapur - Nagpur Circle boundary)

South - South East boundary of Maroda, Katwan, South baoundy of R.F. Compartment No. 353, South East boundary of 352, 355, 356. South East boundary of village Nagala, Mararsawari, Sandra, South boundary of village Sandra. South boundary of R.F. Compartment No. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409.

East - Eastern boundary of R.F. Compartment No. 20, 21, 380, 381, 26A, 372, 368, 37, 43, East boundary of village Talodhi Tukum, Masala, Satara, Kolara, Masal Bu. Tekadi Subhani, Madnapur, Vihirgaon Tukum, Palasgaon, Parna, Easter boundary of R.F. Compartment No. 230, Easter boundary of village Shrikada, Shioni, Wasera, Jamsala, Mohadi, Kalamgaon Gaoganna, Bamni, Shivapur Tukum, Ratnapur, Bhadurna, Usrala, Maroda.

West - South East boundary of Maroda, Katwan, South baoundy of R.F.Compartment No. 353, South East boundary of 352, 355, 356. South East boundary of village Nagala, Mararsawari, Sandra, South boundary of village Sandra. South boundary of R.F. Compartment No. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409.

ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE

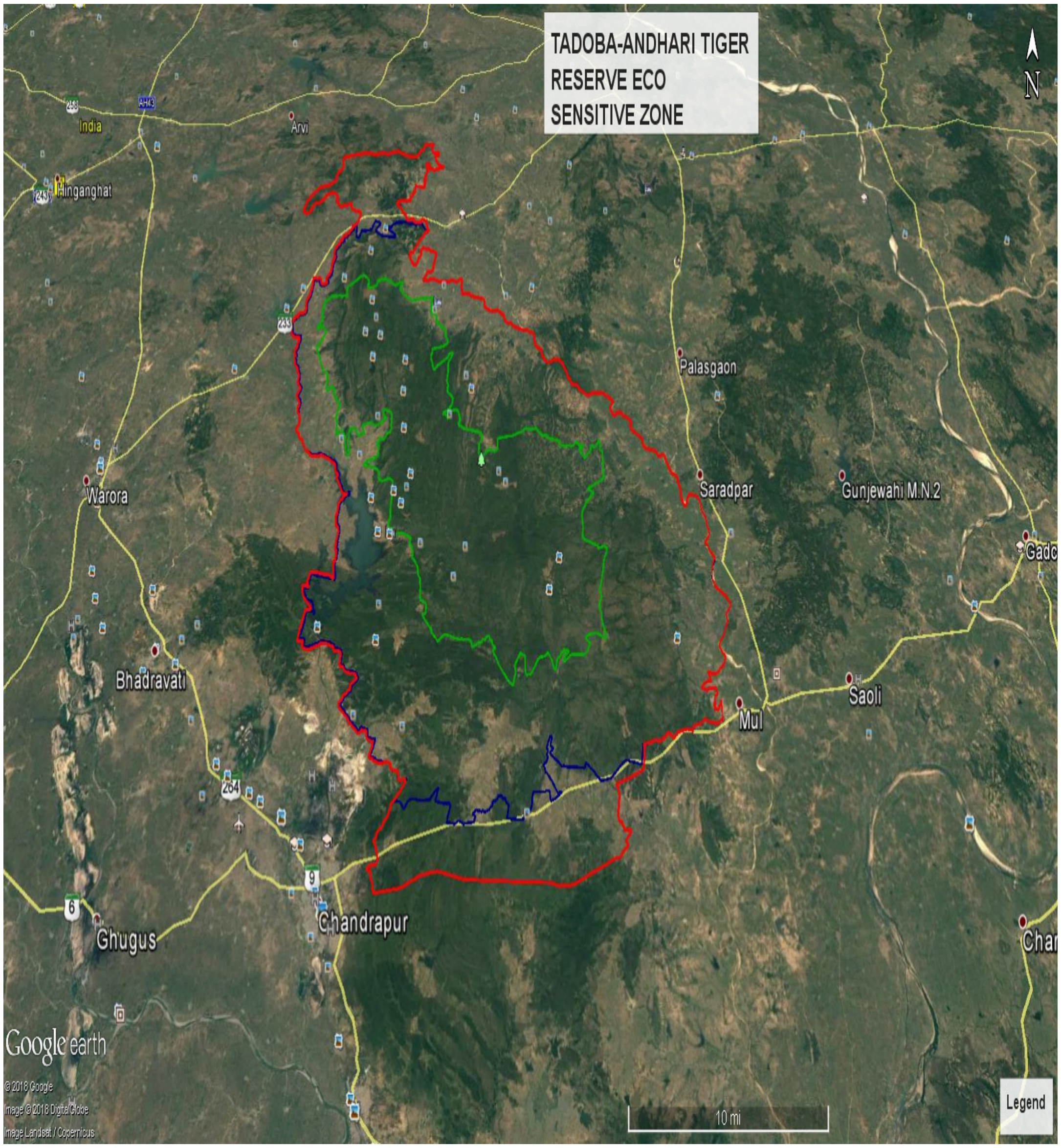

ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

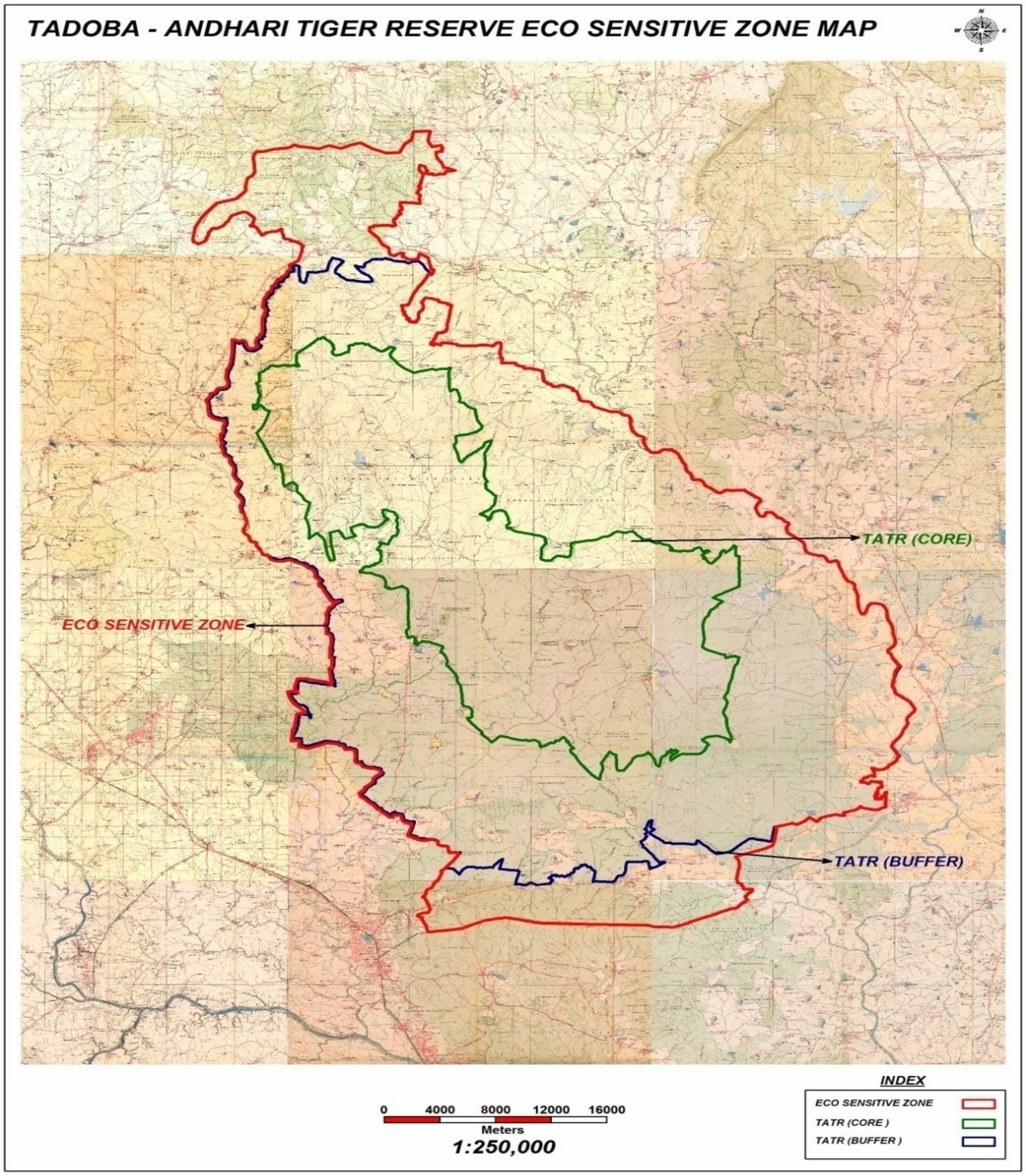

ANNEXURE- II C

LAND USE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

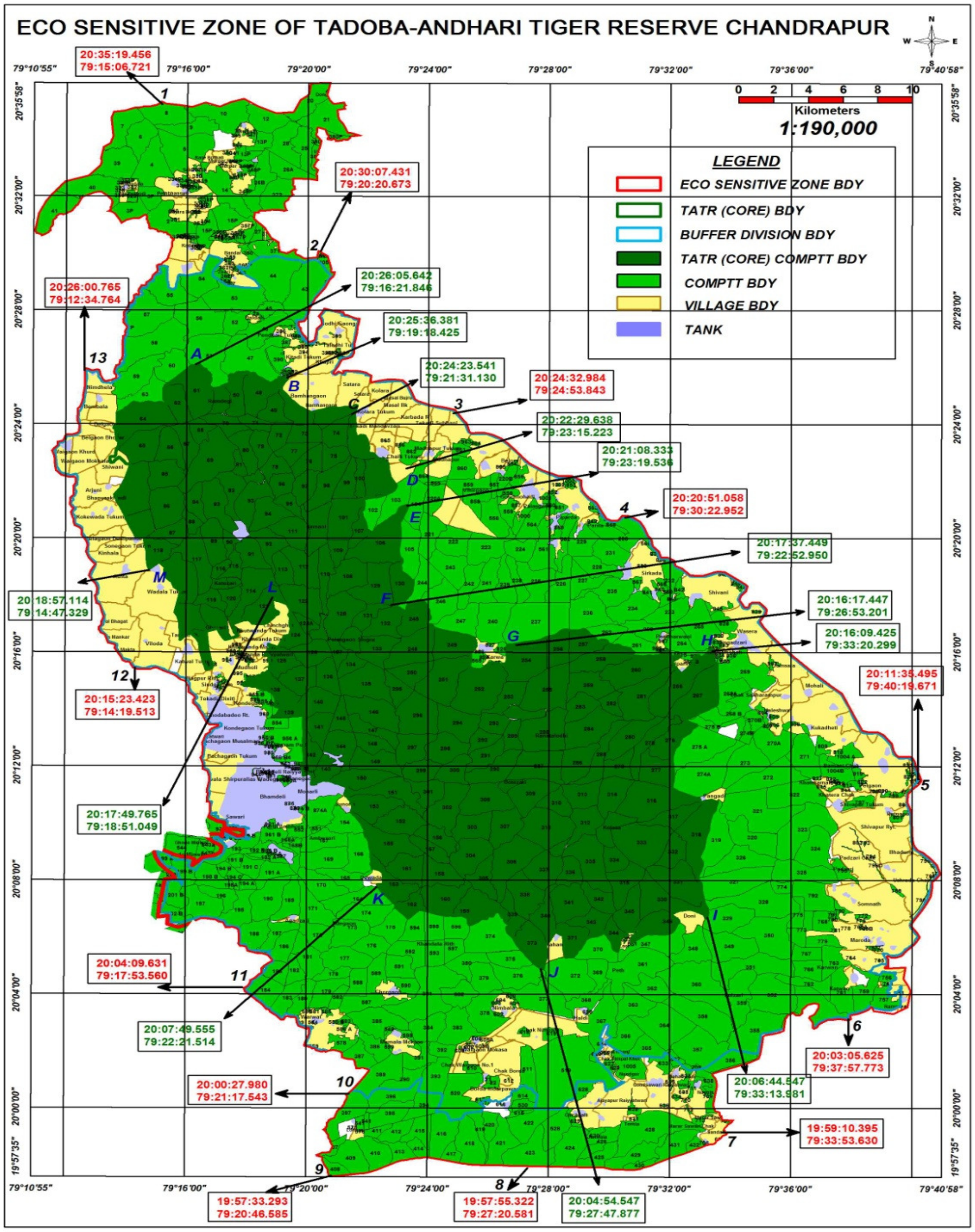

ANNEXURE- II D

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

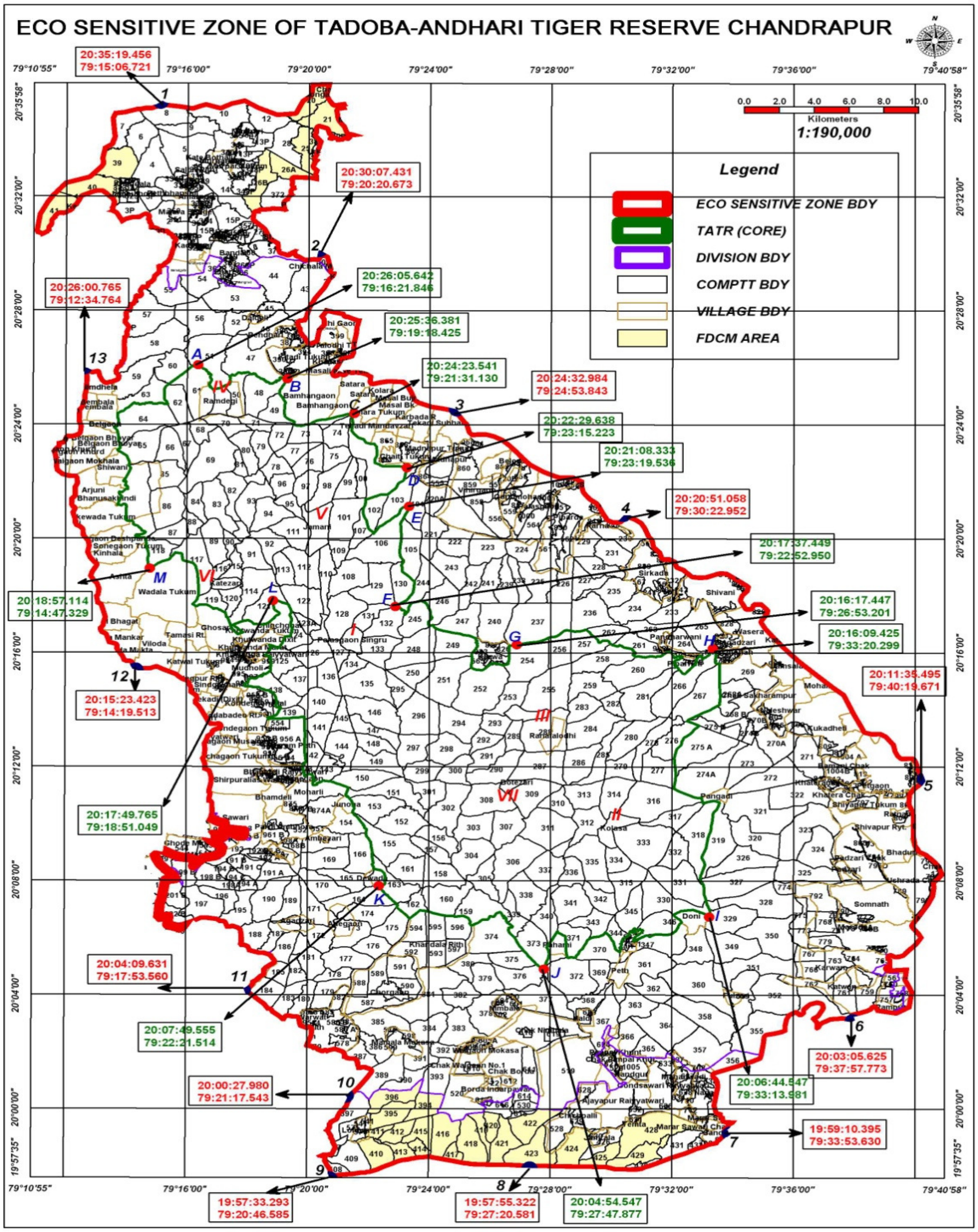

ANNEXURE-III

TABLE A: Geo Co-ordinates of Prominent Locations of Tadoba – Andhari Tiger Reserve

Point No.	Latitude	Longitude
A.	20° 26’ 05.642” N	79° 16’ 21.846” E
B.	20° 25’ 36.381” N	79° 19’ 18.425” E
C.	20° 24’ 24.541” N	79° 21’ 31.130” E
D.	20° 22’ 29.638” N	79° 23’ 15.223” E
E.	20° 21’ 08.333” N	79° 23’ 19.536” E
F.	20° 17’ 37.449” N	79° 22’ 52.950” E
G.	20° 16’ 17.437” N	79° 26’ 53.201” E
H.	20° 16’ 09.425” N	79° 33’ 20.299” E
I.	20° 06’ 44.547” N	79° 33’ 13.981” E
J.	20° 04’ 54.547” N	79° 27’ 47.877” E
K.	20° 07’ 49.555” N	79° 22’ 21.514” E
L.	20° 17’ 49.765” N	79° 18’ 51.049” E
M.	20° 18’ 57.114” N	79° 14’ 47.329” E

TABLE B: Geo Co-ordinates of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone of Tadoba – Andhari Tiger Reserve

S. No.	Latitude	Longitude
14.	20° 35’ 19.456” N	79°16’ 06.721” E
15.	20° 30’ 07.431” N	79°20’ 20.673” E
16.	20°24’ 32.984” N	79°24’ 53.843” E
17.	20°20’ 51.058” N	79°30’ 22.952” E
18.	20°11’ 35.495” N	79°40’ 19.671” E
19.	20°03’ 05.625” N	79°37’ 57.773” E
20.	19°59’ 10.395” N	79°33’ 53.630” E
21.	19°57’ 55.322” N	79°27’ 20.581” E
22.	19°57’ 33.293” N	79°20’ 46.585” E
23.	20°00’ 27.980” N	79°21’ 17.543” E
24.	20°04’ 09.631” N	79°17’ 53.560” E
25.	20°16’ 23.423” N	79°14’ 19.513” E
26.	20°26’ 00.765” N	79°12’ 37.764” E

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING IN TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH GPS CO-ORDINATES

Sr. No	Village Name	Latitude	Longitude
1	Palasgaon SIngru	20:16:39.673	79:21:28.819
2	Kolsa	20:10:03.787	79:30:09.557
3	Rantalodhi	20:13:51.698	79:26:59.830
4	Ramdegi	20:24:37.562	79:16:36.273
5	Jamani	20:20:08.533	79:20:20.846
6	Katezari	20:18:25.109	79:17:18.230
7	Botezari	20:11:18.178	79:26:38.733

[1]Out of the 7 Villages mentioned in the protected area of ESZ of Tadoba Andhari Tiger Reserve, 4 have been relocated.

LIST OF VILLAGES FALLING IN ESZ OF TADOBA – ANDHARI TIGER RESERVE ALONG WITH GPS CO-ORDINATES

Sl No	Name of Village	Area in Ha.	Longitude	Latitude
1.	Dewada	712.98	79:22:19.503	20:08:05.870
2.	Khandala Rith	32.32	79:23:50.526	20:05:46.042
3.	Chorgaon	526.00	79:22:44.797	20:04:09.790
4.	Warwat	384.58	79:20:35.958	20:02:41.750
5.	Mamla	181.81	79:23:11.000	20:02:21.526
6.	Nimbala	308.58	79:26:41.959	20:03:32.831
7.	Chak Nimbala	651.30	79:27:35.698	20:02:44.831
8.	Waigaon - 1	143.59	79:25:22.480	20:01:36.308
9.	Waigaon - 2	107.28	79:25:56.567	20:02:04.135
10.	Borda	143.97	79:26:39.698	20:01:39.091
11.	Haldi	291.24	79:29:09.918	20:03:05.923
12.	Zari	29.72	79:30:48.404	20:05:58.270
13.	Adegaon	465.00	79:21:08.140	20:06:40.499
14.	Agarzari	120.08	79:19:48.836	20:06:24.903
15.	Chak Borda	799.96	79:26:21.082	20:01:00.109
16.	Pahami	30.58	79:27:50.927	20:05:30.503
17.	Peth	11.59	79:30:23.039	20:04:53.288
18.	Doni	79.04	79:32:34.291	20:06:35.005
19.	Fulzari	15.44	79:33:57.346	20:03:55.542
20.	Moharli	373.00	79:20:17.921	20:10:40.032
21.	Pimpalkhut	24.60	79:29:55.130	20:02:32.956
22.	Chak Pimpalkhut	154.76	79:30:07.533	20:01:52.311
23.	Nandgur	302.01	79:30:38.864	20:01:22.026

24.	Mahadwadi	127.78	79:32:23.516	20:01:03.397
25.	Gondsawari	421.71	79:31:40.058	20:00:53.697
26.	Mararsawari	46.47	79:33:16.841	19:59:41.296
27.	Chak Mararsawari	85.23	79:32:33.216	19:59:42.292
28.	Nagala	204.75	79:33:08.673	20:00:28.506
29.	Sandala Rith	159.42	79:33:38.061	19:59:12.752
30.	Chichpalli	673.02	79:29:10.774	19:59:47.194
31.	Ajaypur	860.13	79:30:37.358	20:00:25.639
32.	Temta	32.76	79:30:50.255	19:59:37.118
33.	Jambharla	55.61	79:29:37.100	19:59:03.338
34.	Walni	130.50	79:27:06.081	20:00:19.476
35.	Chak Walni	34.48	79:26:09.809	19:59:59.868
36.	Ghantachouki	29.93	79:24:59.986	19:59:50.362
37.	Lohara	151.61	79:21:47.465	19:59:03.808
38.	Sonegaon	245.28	79:14:31.612	20:20:22.841
39.	Belgaon	480.00	79:13:16.306	20:19:59.176
40.	Ashta	765.00	79:13:51.236	20:18:38.087
41.	Wadala Tu.	374.71	79:15:18.919	20:18:07.434
42.	Wiloda	607.00	79:14:56.463	20:13:21.039
43.	Katwal Tu.	8030.95	79:16:10.941	20:15:45.322
44.	Nagpur Rith	122.83	79:16:32.446	20:14:58.609
45.	Ghosari	224.74	79:17:04.704	20:16:49.837
46.	Khutwanda Di.	114.91	79:18:28.610	20:16:22.339
47.	Khutwanda Tu.	133.21	79:18:07.281	20:16:45.607
48.	Khutwanda Mr.	72.21	79:18:39.363	20:16:00.481
49.	Khutwanda Ry.	11.31	79:18:18.562	20:15:45.674
50.	Chichghat Rith	90.79	79:19:18.576	20:17:03.215
51.	Tekadi	289.86	79:17:09.956	20:14:20.079
52.	Kondegaon Tu.	145.45	79:18:35.660	20:13:31.322
53.	Bhamdeli Ry.	289.00	79:19:23.660	20:11:48.054
54.	Bhamdeli	225.00	79:18:57.918	20:11:03.233
55.	Junona	39.07	79:21:21.740	20:10:40.601
56.	Pardi Rith	350.00	79:19:06.007	20:09:54.656
57.	Tamsi Rith	308.00	79:15:58.162	20:16:41.072
58.	Kondegaon	150.00	79:18:28.953	20:14:17.276
59.	Sitarampeth	559.00	79:19:11.685	20:12:36.479
60.	Thanegaon Rith	62.00	79:20:05.282	20:11:33.318
61.	Ambezari Rith	100.00	79:20:31.871	20:09:28.232
62.	Mudholi	437.00	79:17:42.998	20:15:26.919
63.	Shioni	852.83	79:13:41.367	20:22:19.917
64.	Arjuni Tukum	70.75	79:13:44.348	20:22:00.957

65.	Arjuni	381.18	79:13:02.969	20:21:34.126
66.	Kokewada	376.00	79:13:12.151	20:20:38.556
67.	Bhanuskhindi Rith	19.25	79:14:27.516	20:21:34.364
68.	Waigaon Mokasa	102.65	79:12:45.071	20:22:52.857
69.	Waigaon Khurd	392.00	79:11:57.438	20:22:42.247
70.	Belgaon Bhoyar Rith	298.64	79:13:18.934	20:23:23.559
71.	Belgaon Chak Rith	61.51	79:13:16.677	20:23:57.648
72.	Bembal	110.00	79:12:43.943	20:24:39.412
73.	Bembal Chak	260.62	79:13:21.869	20:24:34.219
74.	Nimdheka	146.00	79:12:59.068	20:25:26.593
75.	Madanapur Tukum	168.00	79:24:19.353	20:23:14.041
76.	Madanapur	550.00	79:24:49.802	20:23:49.505
77.	Chaity (Deori)	233.20	79:22:28.308	20:22:24.607
78.	Chaity Tukum Rith	253.00	79:23:05:917	20:23:00.071
79.	Tekadi Mandavzari	168.66	79:21:48.900	20:23:39.117
80.	Chak Tekadi Rith	212.00	79:22:17.539	20:23:11.943
81.	Tekadi Subhani Rith	475.19	79:24:21.108	20:24:22.962
82.	Karbada	360.00	79:23:12.860	20:23:44.095
83.	Kolara	251.00	79:22:24.810	20:25:18.357
84.	Palasgaon (Piparda)	754.75	79:27:36.976	20:21:11.990
85.	Gondmohali	521.24	79:26:58.109	20:21:38.616
86.	Vihirgaon Tukum	219.00	79:26:08.529	20:22:31.562
87.	Vihirgaon	444.00	79:25:51.697	20:21:05.563
88.	Talodhi	156.01	79:21:13.903	20:26:42.119
89.	Alizanza	Part of Kitadi	79:20:37.366	20:26:34.541
90.	Tekepar	399.00	79:22:06.001	20:26:54.342
91.	Pendhari Rith	126.00	79:19:56.141	20:27:18.788
92.	Pendhari Tu. Rith	168.00	79:19:30.065	20:27:05.750
93.	Talodhi Gaoganna	329.00	79:20:47.361	20:27:20.185
94.	Kitali	298.00	79:19:53.108	20:26:23.881
95.	Khapari	457.00	79:20:32.950	20:25:55.073
96.	Bamangaon	473.00	79:20:22.536	20:24:58.374
97.	Satara	471.00	79:21:27.503	20:24:59.907
98.	Khadsangi	262.22	79:16:00.186	20:29:58.415
99.	Pandharpavani	93.82	79:16:18.575	20:29:21.638
100.	Baradghat	164.61	79:15:40.183	20:29:31.220
101.	Khandala	55.72	79:14:08.573	20:32:22.236
102.	Mangrul	68.53	79:17:57.873	20:28:59.571
103.	Zari	78.37	79:17:14.966	20:29:13.669
104.	Bandar	132.45	79:17:43.775	20:29:53.511
105.	Shiwapur	55.84	79:17:37.033	20:30:36.418

106.	Shedegaon	619.38	79:19:20.622	20:30:03.319
107.	Pitichua	352.00	79:19:45.140	20:31:54.876
108.	Majra Begade	206.05	79:16:12.445	20:31:13.195
109.	Amarpuri	240.14	79:16:33.899	20:31:59.780
110.	Salori Rith	84.54	79:16:11.832	20:32:56.171
111.	Pethbhansuli	189.02	79:15:24.635	20:32:10.813
112.	Jambhulbodi	77.69	79:14:07.574	20:31:58.689
113.	Aajgaon	144.86	79:17:09.303	20:33:50.568
114.	Murpar Rith	156.50	79:17:53.034	20:34:06.603
115.	Murpar Tukum	161.77	79:17:56.435	20:32:36.225
116.	Katebothali	49.32	79:16:47.058	20:33:20.024
117.	Minzari	123.20	79:17:55.376	20:34:07.662
118.	Chak Kukadheti	22.00	79:37:44.726	20:12:57.288
119.	Kukadheti	760.59	79:36:12.062	20:13:58.906
120.	Mohadi	272.00	79:36:56.520	20:15:02.197
121.	Ratnapur	111.07	79:33:47.327	20:20:35.299
122.	Khatera	96.00	79:37:17.166	20:11:26.350
123.	Khatera Chak	118.00	79:37:31.376	20:11:04.544
124.	Naleshwar	413.50	79:35:41.858	20:14:13.200
125.	Jamsala	446.00	79:35:48.228	20:15:46.793
126.	Masmohan	134.00	79:33:54.054	20:15:56.596
127.	Singadzari	104.04	79:33:52.094	20:16:26.484
128.	Wasera	667.75	79:34:48.936	20:16:51.475
129.	Pandharwani	55.11	79:31:45.186	20:16:11.294
130.	Shioni	638.01	79:33:23.673	20:18:13.308
131.	Sirkada	380.71	79:31:21.169	20:18:48.589
132.	Parna	121.62	79:29:29.936	20:20:41.292
133.	Piparda	423.43	79:28:21.510	20:20:09.557
134.	Piparheti	27.40	79:32:27.094	20:15:37.951
135.	Maroda	1995.04	79:38:15.353	20:06:11.147
136.	Usrala	755.98	79:39:50.068	20:08:05.213
137.	Padzari	26.42	79:37:32.181	20:08:34.857
138.	Padzari Ry.	696.23	79:38:14.311	20:08:48.189
139.	Shiwapur	78.00	79:38:10.844	20:10:49.780
140.	Bhadurna	5.57	79:40:01.680	20:09:05.240
141.	Katwan	133.85	79:37:58.377	20:04:03.544
142.	Chak Katwan	99.24	79:38:24.103	20:04:36.806
143.	Karwan	757.48	79:37:54.219	20:05:14.745

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.07.18 22:41:29 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.